हितग्राहियों को मिली की खुशियों की चाबी, कहा पीएम आवास योजना से पक्के घर का सपना हुआ पूरा : केशला और आमापाली में लगा समाधान शिविर

- समाधान शिविर में ऐतवार एवं बोधन को मिला पेंशन का सहारा
- सामुदायिक निवेश निधि के तहत तीन समूहों को मिला 60-60 हजार रुपए की आर्थिक सहायता
- पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से किया गया लाभान्वित

रायगढ़

सुशासन तिहार अंतर्गत जिले के विभिन्न स्थानों में जनसामान्य की मांग, समस्या एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलस्टर स्तर पर आयोजित इस समाधान शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच कर प्रथम चरण में दिए गए आवेदनों पर की गई विभागीय कार्यवाही की जानकारी के साथ नए आवेदन भी प्रस्तुत कर रहे है।

समाधान शिविर अंतर्गत आज लैलूंगा के केशला और धरमजयगढ़ के आमापाली में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। लैलूंगा के ग्राम पंचायत केशला में आयोजित शिविर में ग्राम के गोविंदों निषाद एवं विपिन पैंकरा को पीएम आवास योजना के तहत खुशियों की चाबी सौंपी गई।

गोविंदों एवं विपिन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शासन की योजना से उनका पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। मिट्टी के घर में सालाना मरम्मत की जरूरत होती थी जिससे अनावश्यक काफी पैसे खर्च होते थे। वहीं खासकर बरसात के दिनों में कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता था, लेकिन अब पक्का आवास बनने से वे सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिला हैं। ऐतवार साय एवं बोधन राम चौहान को पेंशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पेंशन प्रमाण पत्र मिलने से हितग्राहियों ने धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें इस उम्र में शासन ने आर्थिक सहारा देने का कार्य किया है। इससे वे अब अपनी छोटी-छोटी जरूरत को पूरा कर सकेंगे। इसी तरह उद्यानिकी विभाग द्वारा फलदार पौधा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गोद भराई एवं पोषण आहार वितरण तथा बच्चों को अन्न प्रासन्न करवाया गया तथा पशुधन विकास विभाग द्वारा मिनरल मिक्सर एवं डी वार्मर का वितरण कर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष जिला पंचायत रायगढ़ दीपक सिदार,अध्यक्ष जनपद पंचायत लैलूंगा ज्योति भगत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पनत राम भगत, जनपद सदस्य पुष्पांजलि पैकरा, सौभागी गुप्ता, रहस बाई चौहान, उमा पटेल, मनोज सतपथी, संजय पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

इसी प्रकार धरमजयगढ़ के आमापाली में आयोजित समाधान शिविर में विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। जिसमें 8 स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र एवं 11 हितग्राहियों को पीएम आवास की खुशियों की चाबी सौंपी गई। पीएम आवास से लाभान्वित नागदरहा निवासी रिमला, लोकनाथ एवं कुंतला गुप्ता ने कहा कि आज उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्हें आज पीएम आवास के तहत पक्के आवास लाभान्वित किया गया है। वहीं राशन कार्ड से लाभान्वित सागरपुर पंचायत निवासी रोशनी मंडल, भानुमति एवं कुंती ने कहा कि आवेदन पश्चात आज राशन कार्ड मिलने से उनकी राशन संबंधित समस्याएं दूर हो गई है। इसी तरह बिहान अंतर्गत ज्ञान महिला ग्राम संगठन ग्राम पंचायत आमापाली, शिव शक्ति स्व-सहायता समूह एवं सिमरन ग्राम संगठन ग्राम पंचायत नागदरहा, जनमित्रय ठाकुर देव स्व-समूह और तुलसी स्व-सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि अंतर्गत 60-60 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। समूह के सदस्यों ने कहा कि आर्थिक सहायता प्राप्त होने से उनके समूह के द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाएगी। जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगी। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है, इससे योजनाओं की जानकारी के साथ शिविर के माध्यम से योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो रही है।

इस अवसर पर डीडीसी पूर्णिमा बैगा, बीडीसी चमेली सिदार, जयदत्त राठिया, शिशुपाल, सर्व सरपंच उमेन सिंह राठिया, गजमती राठिया, तीरमति राठिया, रजे कुमार राठिया, रमिलो राठिया, देवसिहं राठिया, सुलोचना सिदार, रामरतन राठिया, जानकी बिरहोर, अमित राठिया, एसडीएम धरमजयगढ़ धनराज मरकाम, जनपद सीईओ धरमजयगढ़ मदन साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

17 मई को मुरा में लगेगा समाधान शिविर- सुशासन तिहार के तीसरे चरण में 17 मई को विकासखण्ड खरसिया के ग्राम-मुरा में प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन होगा।

महत्वपूर्ण एवं खास

तेंदूपत्ता तोडऩे गए युवक पर मादा भालू का हमला, पैर गंभीर रूप से घायल

खैरागढ़ (आरएनएस)। खैरागढ़ के बनबोड गांव में शुक्रवार को तेंदूपत्ता तोडऩे जंगल गए एक युवक पर मादा भालू ने हमला कर दिया। युवक ने जान बचाने के लिए पेड़ पर चढक़र खुद को सुरक्षित किया, लेकिन इस दौरान उसका एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान 23 वर्षीय जितेंद्र चक्रधारी के रूप में हुई है, जो उसी गांव का निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जितेंद्र सुबह तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए जंगल गया था। लौटते समय उसकी मुठभेड़ एक मादा भालू और उसके दो शावकों से हो गई। भालू को देखकर वह घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन मादा भालू ने उसे पकडक़र उसके पैर पर हमला कर दिया। किसी तरह वह भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया और अपनी जान बचाई। घायल अवस्था में उसे पहले मुढ़ीपार स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे खैरागढ़ सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अब उसकी हालत स्थिर है और इलाज जारी है। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में पानी की कमी के कारण जंगली जानवर, खासकर भालू, आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। इस समय तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य जोरों पर है, जिससे जंगल में जाने वाले मजदूरों को खतरा बढ़ गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जंगलों में गश्त बढ़ाने और तेंदूपत्ता तोडऩे वाले श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

रिंग रोड पर दर्दनाक हादसा, स्कूटी सवार युवती की मौत

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर के तेलीबांधा रिंग रोड पर शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सडक़ हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 27 वर्षीय युवती को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। मृतका की पहचान तान्या रेड्डी के रूप में हुई है। वह स्कूटी से कहीं जा रही थी तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। इस बीच, ट्रक चालक घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही देर में उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, वहीं ट्रैफिक को सामान्य करने के लिए जाम हटाने का काम जारी है।

जूटमिल पुलिस ने 24 घंटे में किया ट्रैक्टर चोरी का खुलासा : चोरी की ट्रैक्टर, बाइक के साथ 10 लाख का माल बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

थाना जूटमिल पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे में घटना का पर्दाफाश कर दिया है। जूटमिल थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दो चोरों को गिरफ्तार कर चोरी गया ट्रैक्टर और वारदात में प्रयुक्त पल्सर बाइक को बरामद किया है।

ट्रैक्टर चोरी की घटना को लेकर कोड़ातराई निवासी अजय चौधरी (28 वर्ष) ने 15 मई को थाना जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी महिन्द्रा ट्रैक्टर (CG-13 AN 9400)मय ट्राली , जो उसने 14 मई की रात अपने घर के सामने खड़ी की थी, अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई

है। आवेदन पर पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 172/2025 धारा 303(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया।

थाना प्रभारी प्रशांत राव ने अपनी टीम के साथ CCTV फुटेज खंगाले और मुखबिरों को सक्रिय किया। एक महत्वपूर्ण सुराग मिलने पर संदेही यशवंत पटैल निवासी चपले को पूछताछ किया गया।

पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपने साथी रवि उर्फ भविष्य पटैल के साथ मिलकर ट्रैक्टर चोरी की योजना बनाई थी। आरोपी यशवंत ने बताया कि कुछ दिन पहले वह रायगढ़ कोड़ातराई बारात में आया था, तब इसने रामनगर मोहल्ला कोड़ातराई में रोड़ पर खड़ी ट्रैक्टर को चोरी के लिए अपने साथी रवि उर्फ भविष्य कुमार पटैल को बताया। इनका प्लान था कि चोरी ट्रैक्टर को चोरी कर ईट, गिट्टी सप्लाई के काम पर लगाकर कमाई करेंगे फिर दोनों घटना दिनांक को यशवंत की पल्सर बाइक में आये और ट्रैक्टर को चोरी कर चलाते हुए लेकर फरार हो गये। आरोपियों के मेमोरेंडम पर उनके घर के बाड़ी से चोरी ट्रैक्टर महिन्द्रा ट्रैक्टर सीजी-13 ए एन 9400 मय ट्राली कीमती 9 लाख रूपये को बरामद किया गया एवं घटना में प्रयुक्त किया गया बिना नंबरी काला कलर पल्सर किमती 1 लाख रूपये को भी जप्त किया, इस प्रकार जूटमिल पुलिस ने सटीक कार्यवाही करते हुए चोरी मशरूका से अधिक जुमला 10 लाख रूपये की बरामदगी आरोपियों के कब्जे से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। जूटमिल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी 1. यशवंत पटैल पिता स्व. चंद्रिका पटैल उम्र 20 वर्ष 2. रवि उर्फ भविष्य कुमार पटैल पिता डोरीलाल पटैल उम्र 19 वर्ष दोनों निवासी चपले नीचे बस्ती थाना खरसिया जिला रायगढ़ छ०ग० को आज गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है

जीजा के मेडिकल दुकान में साले ने किया 40 लाख रुपए गबन, गिरफ्तार

- बिल में हेरा फेरी कर करता था गबन

दुर्ग (आरएनएस)। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक मेडिकल दुकान संचालक की शिकायत पर उसके साले को 40 लाख रूपये का गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 316 (2),318 (3)-बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार पीयूष त्रिपाठी निवासी जयंती नगर दुर्ग दिनांक 15 मई को थाना मोहन नगर में शिकायत आवेदन पेश किया। जिसमें आवेदक के बस स्टैंड हाउसिंग बोर्ड परिसर में स्थित संकल्प फ ार्मेसी के नाम से मेडिकल दुकान में काम करने वाले अपने साले बृजमोहन दुबे उर्फ गगन निवासी जयंती नगर दुर्ग द्वारा मेडिकल दुकान में कार्य करते हुए कंप्यूटर बिल निकालते समय हेरा फेरी कर लगभग 40 लाख रुपए गबन कर लिया है। शिकायत आवेदन जांच क्रम में जिला अभियोजन अधिकारी से विधिक राय लिया गया जिन्होंने अपने प्रतिवेदन में अनावेदक बृजमोहन दुबे का कार्य प्रथम दृष्टया अपराध की श्रेणी में आना लेख किए जाने से शिकायत जांच में प्रथम दृष्टया अपराध धारा 316 (2),318 (3)-बीएनएस का घटित होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

56 किलो ग्राम गांजा के साथ पकड़ाये तीन अंतर्राज्यीय तस्कर

गरियाबंद । आरएनएस

गरियाबंद पुलिस ने 5 लाख रुपए कीमत का 56 किलोग्राम गांजा के साथ तीन अंतर्राज्यीय (उड़ीसा) के तस्करों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार गरियाबंद के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सभी थाना प्रभारी को थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब, गांजा तस्करी बिक्री पर अंकुश लगाने के साथ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसके परिपालन में थाना प्रभारी देवभोग के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में मुखबिर सक्रिय करने के साथ थाना पेट्रोलिंग को सक्रिय किया गया था। जो आज दिनांक 16.05.2025 को पेट्रोलिंग करते हुए देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक सफेद रंग की ट्रिबर वाहन क्रमांक ओडी 08 वी 6752 में तीन व्यक्ति बोरी में गांजा रखकर धरमगढ़ उड़ीसा से खूटगांव की ओर आ रहे हैं कि सूचना प्राप्त हुआ। सूचना तस्दीक पर हमारा स्टाफ के मुखबिर द्वारा बताए गए घटनास्थल पर पहुंचकर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका कर चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान ट्रिबर वाहन में पीछे सीट में दो सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में गांजा मादक पदार्थ पाया गया जिसे समक्ष गवाहन के तौल करने पर 56 किलो 660 ग्राम गांजा मादक पदार्थ कीमती 05 लाख 65 हजार रुपए गांजा एवं परिवहन करते उपयोग मे लाए गए वहां ट्रिबर वाहन को जब्त किया गया। आरोपियों का नाम पता पूछने पर अपना नाम नीलांबर नायक निवासी जयपटना (उड़ीसा), गणेश नायक निवासी भलीहाजोर (उड़ीसा), बलभद्र नायक ग्राम बड़पोडागुड़ा (उड़ीसा) का रहने वाला बताया।

जबरिया मांग में सिंदूर भरने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जशपुर । आरएनएस

जशपुर जिले के थाना फरसाबहार क्षेत्र की एक ग्राम की प्रार्थीया ने थाना फरसाबहार में रिपोर्ट दर्ज कराया, कि उसका वर्ष 2000 में एक व्यक्ति के साथ सामाजिक रीति रिवाज से विवाह हुआ था, व उसके पांच बच्चे भी हैं, वर्ष 2012 में पारिवारिक विवाद के कारण उनका तलाक भी हो गया है और वह तब से अपने बच्चों के साथ एक अलग घर में रहती है। इसी बीच 14.09.21 को प्रार्थिया किसी निजी कार्य से अपने गांव के करीब स्थित दूसरे गांव गई थी, इसी दौरान प्रार्थिया के गांव का ही एक युवक आरोपी अनूप एक्का उसे मिला और बोला कि मैं तुम्हे पसंद करता हूं, और शादी करना चाहता हूं, जिस पर प्रार्थिया के द्वारा कहा गया कि वह तलाकशुदा है और उसके पांच बच्चे भी हैं, तुम्हे कोई और लडक़ी भी मिल जाएगी, जिस पर आरोपी अनूप एक्का के द्वारा कहा गया था कि, वह उसी को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा, उस दिन, रात को आरोपी अनूप एक्का प्रार्थिया के घर आया, और शादी का झांसा देते हुए प्रार्थिया के मना करने के बावजूद दुष्कर्म किया, कुछ दिनों के बाद आरोपी अनूप एक्का ने सिंदूर की डिबिया लाकर, प्रार्थिया के मांग में सिंदूर भर दिया था। तब से लेकर 17.04.25 तक वह प्रार्थिया का दैहिक शोषण करता रहा। इसी दौरान प्रार्थिया के द्वारा जब शादी करने की बात कही जाती थी, तो आरोपी अनूप एक्का कहता था कि सिंदूर तो लगा दिया हूं, शादी बाद में करेंगे। एक दिन प्रार्थिया को किसी से पता चला कि आरोपी अनूप एक्का किसी और से शादी कर लिया है, जब प्रार्थिया ने फोन के माध्यम से अनूप एक्का से संपर्क कर शादी के संबंध में पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह किसी और से शादी कर चुका है व उससे संबंध नहीं रखना चाहता है, इस प्रकार आरोपी अनूप एक्का के द्वारा तलाक शुदा महिला जानते हुए भी, शादी का झांसा देकर प्रार्थिया का दैहिक शोषण किया है। रिपोर्ट पर थाना फरसाबहार में आरोपी अनूप एक्का के विरुद्ध भा. द. वि. की धारा 450, 376व 376(2)ड्ड के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। तथा प्रार्थिया का डॉक्टर के द्वारा मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। पुलिस ने आरोपी अनूप एक्का को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस महिलाओं से संबंधित अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, महिला संबंधी अपराध में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

जंगल से भटककर गांव पहुंचा भालू, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

गरियाबंद । आरएनएस

गरियाबंद ज़िला के कांदाडोंगर के जंगल से भटककर आया भालू , कोदोभाटा के गांव घुस गया। ग्रामीणों के अनुसार, भालू रातभर गांव के विभिन्न हिस्सों में घूमता रहा, जिससे रात भर गांव में दहशत का माहौल बना रहा । ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

ग्रामीणों में भय का माहौल- भालू के गांव में घुसने के बाद से ग्रामीण सहमे हुए हैं। परिवार के बुजुर्ग और बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। कुछ परिवारों ने बच्चों को स्कूल भेजने पर भी पाबंदी लगा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि वे रातभर जागकर अपने घरों और मवेशियों की सुरक्षा कर रहे हैं।

वन विभाग की त्वरित कार्रवाई- भालू के गांव में घुसने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रेंजर ने बताया कि भालू पर लगातार नजर रखी जा रही है। गांव के चारों ओर वन विभाग के कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं ताकि भालू को जंगल की ओर सुरक्षित तरीके से लौटाया जा सके।

रेंजर ने कहा, 'हम ग्रामीणों से अपील कर रहे हैं कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। भालू के जंगल में वापस जाने के बाद भी उसे ट्रैक किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह दोबारा गांव की ओर न आए।'

पर्यावरण असंतुलन और बढ़ती घटनाएं- विशेषज्ञों का कहना है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई और जल स्रोतों के सूखने के कारण वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास को छोडक़र गांवों की ओर बढ़ रहे हैं। कांदा डोंगर के जंगल में भी ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है। जंगल में जलस्रोतों के सूखने और पेड़ों की कटाई के कारण भालू और अन्य वन्य जीव भोजन और पानी की तलाश में गांवों का रुख कर रहे हैं।

सबक लेने की आवश्यकता- इस घटना से स्पष्ट है कि जंगल के संसाधनों की कमी वन्य जीवों को अपने प्राकृतिक आवास से दूर कर रही है। सरकार और आम जनता को अवैध कटाई रोकने और जलस्रोतों के संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। वन विभाग ने भी ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगलों की रक्षा के लिए सहयोग करें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। भालू की स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए वन विभाग की टीम अलर्ट मोड में है।

छत्तीसगढ़ में आईटी व्हीकल पॉलिसी, यात्रियों को मिलेगी सुरक्षा

- परिवहन क्षेत्र में मोटर वाहन एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 ला रही सरकार

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ सरकार ने परिवहन क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी को बढ़ावा देने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मोटर वाहन एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 की शुरुआत की है। यह नीति राइड-हेलिंग सेवाओं, जैसे ओला, उबर और अन्य स्थानीय कैब एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के साथ डिजिटल तकनीक के माध्यम से परिवहन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने का लक्ष्य को लेकर बनाई गई है।

परिवहन विभाग ने यह नीति लागू करने के पहले राजपत्र में एक अधिसूचना का प्रकाशन कराया है और 30 दिनों के भीतर दावा आपत्ति आमंत्रित किया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपयोग से मोटर वाहन एग्रीगेटर सेवाओं को संगठित करना और यात्रियों के लिए सुरक्षित, किफ ायती और विश्वसनीय परिवहन विकल्प सुनिश्चित करना है। नीति के तहत, सभी एग्रीगेटर कंपनियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफ ॉर्म पर पंजीकरण करना होगा, जो छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा संचालित होगा। यह प्लेटफॉर्म वाहनों के पंजीकरण, चालक सत्यापन, किराया निर्धारण और शिकायत निवारण को पारदर्शी बनाएगा।

ड्राइवरों के लिए ये होगी अनिवार्यता- नीति में चालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक चालक को पुलिस सत्यापन, मेडिकल फि टनेस टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता होगी। इसके अलावा, वाहनों को नियमित फिटनेस जांच और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और सडक़ दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। नीति में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे कि महिला यात्रियों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन और रात के समय महिला चालकों की उपलब्धता को प्रोत्साहन।

ई वाहनों को मिलेगी छूट- पर्यावरण संरक्षण भी इस नीति का एक प्रमुख पहलू है। नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं, जैसे कि ईवी चालकों के लिए कर छूट और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना। यह कदम राज्य में वायु प्रदूषण को कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से उन्नत और निवेश-अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित करेगी। नीति के तहत डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है।

नशा करके गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर होंगे निलंबित- व्यवस्था के तहत वाहन चालक पर दवाओं या शराब के उपयोग पर शून्य सहिष्णुता नीति लागू होगी। किसी यात्री को यह संदेह होगा कि वाहन चालक गाड़ी चलाते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में है। यात्री की शिकायत मिलने पर एग्रीगेटर द्वारा तुरंत ऐसे ड्राइवर को बोर्ड से बाहर कर देगा, तत्काल निलंबन किया जाएगा या एग्रीगेटर द्वारा जांच की अवधि के दौरान निलंबन जारी रहेगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती एकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU